

क्रमांक 434/84

दिनांक - 3, मार्च 30 / 11 / 84

// का के का //

सदस्य प्रवेश प्राप्त के अंगिका क्रमांक ए-1/83/79/ई-5/20, दिनांक 4-5-81 के निहित नियमों के अन्तर्गत श्री/श्री/श्रीमती - धनराज मेहता पिता/पति - श्री - पंचम मेहता को (-व्यापक वारिस-) के पद पर पूर्ण अर्थात् तीर पर रुपये 700-1600 के मूलतः वेतन रुपये 700/- पर तर्क व्याख्याता पद पर नियुक्त किया जाता है।

2/- यह तर्क नियुक्ति पूर्ण अर्थात् है। यह अर्थात् नियुक्ति 6 माह अथवा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रत्यागी के पदोन्नति किये जाने अथवा आमान्तरण के कर्तव्य पश्चात् प्रदत्त किये जाने अथवा आदेश होने तक, जो भी पहले हो समाप्त हो जायेगा। यह नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जा सकेगी।

3/- नियुक्त व्यक्ति को अपना पक्षार प्रहण करने अथवा करने उक्त तथो पत्र प्रमाण पत्रों का निम्न उल्लेख उन्हीं अथवा आवेदन पत्र के द्वारा है, शीतल अथवा अन्य उक्त प्रमाण के अभाव प्रस्तुत करना होगा।

4/- अर्थात् पर तत्काल उन्नीयत होना है।

*[Handwritten Signature]*  
अतिरिक्त - 3, सामाजिक न्याय विभाग, पूर्ण (50 प्रो)  
30/3/84

पृष्ठ 435/84

दिनांक - 3, मार्च 30 / 11 / 84

- श्रीमती/श्री/श्रीमती - धनराज मेहता पिता/पति - श्री - पंचम मेहता को (-व्यापक वारिस-) के पद पर पूर्ण अर्थात् तीर पर रुपये 700-1600 के मूलतः वेतन रुपये 700/- पर तर्क व्याख्याता पद पर नियुक्त किया जाता है।
- (1) अधिवक्ता, राज्य प्रवेश प्राप्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
  - (2) अधिवक्ता, राज्य प्रवेश, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
  - (3) अधिवक्ता, महाविद्यालयों शिक्षा, 50 प्रो, सतपुरा भवन, पांचवें मंजिल, भोपाल।
  - (4) अधिवक्ता व्यक्ति धनराज मेहता (व्यापक वारिस) - - - अधिवक्ता अथवा नोट करें :- 10 दिनांक
- 1- आपकी अपना पक्षार प्रहण करने अथवा करने उक्त तथो पत्र प्रमाण पत्रों का निम्न उल्लेख उन्हीं अथवा आवेदन पत्र के द्वारा है, शीतल अथवा अन्य उक्त प्रमाण के अभाव प्रस्तुत करना होगा।
- 2- नियुक्त व्यक्ति को किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त हो जा सकेगी।
- (5) अधिवक्ता विभाग (2), महाविद्यालयों शिक्षा विभाग, सतपुरा भवन, पांचवें मंजिल, भोपाल।
  - (6) अधिवक्ता, सामाजिक न्याय विभाग, अतिरिक्त - 3, पूर्ण (50 प्रो)
  - (7) अन्य

*[Handwritten Signature]*  
अतिरिक्त - 3, सामाजिक न्याय विभाग, पूर्ण (50 प्रो)



गुजरात प्रदेश शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 28 सितंबर, 93

क्रमांक एफ-1/111/93/ए-1/38 अध्यापक-मोटा लोक आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को सहायक प्राध्यापक अध्यापक पद पर वेतनमान रु 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है।

क्रमांक नाम एवं वर्तमान पता महाविद्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।

1. 2. 3.

//अनुसूचित जाति//

1. [81] श्री केजादास चवले शारदा पाटन दुर्ग  
द्वारा भारतीय टेलर  
जाल वाधा पो विजयलदा  
तहसील रागाद राजनांदगांव
3. [151] श्री वीरेन्द्र महादुर पंचभाई शारदा धमदा दुर्ग  
शारदा सहसपुर लोहारा  
जिला राजनांदगांव
5. श्री पुवराज सिंह कुरे शारदा नवागढ़ दुर्ग  
शारदा पाटी शारदा  
शारदा नवागढ़ जिला दुर्ग
6. श्री गुलावराव सूर्यवंशी शारदा आठनेर विजयल  
शारदा पाटी शारदा  
शारदा नातक शारदा आठनेर  
विजयल
10. श्री हंसराज करोलिपा शारदा जोसट शारदा  
शारदा पाटी शारदा  
शारदा जोसट शारदा
11. कुं लक्ष्मी सोन शारदा  
275 डॉ० अडिडकर नगर  
इंदौर

.....21



कु० संघ मिश्रा देवराज रावमले शा०महा० मण्डलेश्वर खरगोन ।  
म०नं०-57 माया स्मृति ज्योति  
नगर खण्डवा ।

///अनुसूचित जनजाति///  
-----

7. श्री इन्दरसिंह शा०महा०पेटलावद शा०मुआ ।  
श्रीआपातो महा०महा०  
शा०महा० पेटलावद शा०मुआ ।

2/ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा श्रुती नियम 1990 के नियम-22 के अनुसार यह नियुक्तियों पदभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये परीक्षा पर रहेगी ।

3/ नियुक्त प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर अथवा वरिष्ठ सत्यापन समाधान कारक नहीं जाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी ।

4/ नियुक्त प्रत्याशी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा ।

5/ नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/जनजाति, विकलांग श्रेणी के प्रत्याशियों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है । उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6/ इनअधिकारियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवाओं को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, मध्यप्रदेश सिविल सेवा सेवा को सामान्य शर्तें नियम 1961 एवं म०प्र० शैक्षणिक सेवा महाविद्यालयीन शाखा श्रुती नियम 1990 के अध्याधीन रहेंगे ।

7/ पदभार ग्रहण करते समय आयु एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ छाया प्रतियां सत्यापित करना होगा । सत्यापन के पश्चात मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिया जायेगा ।

8/ यह नियुक्तियों पूर्णतः अस्थायी है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवान्तर समाप्त को जा सकेगी इसी प्रकार आधिकारी द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्याग-पत्र दिया जा सकेगा ।

9/ नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को दिनांक 25 अक्टूबर, 93 तक पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा । शासकीय अधिकाधिकारियों/निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति

// 3 //

समय नियोजता का अनापत्ति, वाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

...  
११-११-९३

॥ हीरालाल त्रिवेदी ॥

उप सचिव,

मोप्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग

मू० क्र० एफ-१/१११/९३/ए-१/३८ अर्थशास्त्र ॥ भोपाल, दिनांक २४ सितंबर, ९३

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मोप्र० लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर सूचनार्थ ।
2. आद्युक्त, उच्च शिक्षा मोप्र० भोपाल ।
3. महालेखाकार, मोप्र० ग्वा लियर ।
4. निज सचिव, सलाहकार १२मोएन० ॥ ।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मोप्र० ।
6. संबंधित प्राचार्य, शा०मह० मोप्र० ।
7. संबंधितगण ।

नागवंशी/.....

१२

उप सचिव,

मोप्रशासन, उच्च शिक्षा विभाग





मध्य प्रदेश सरकार  
उच्च शिक्षा विभाग  
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर, 07

प्रकाश /एच-1/147/17/1-1/30 परिशिष्ट में अंकित प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश शैक्षिक सेवा उच्च शिक्षा विभाग के महाशक प्राध्यापक के पद पर आपाती तौर पर स्थापना के लिए आगामी आदेश तक रुपये 700-50-1100-50-1300 अडेनॉट-50-1600 के जो जो अद्यतनमान में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है तथा उनका पंदाकन उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में किया जाता है।

2. यह नियुक्ति कितने भी ओर से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त की जा सकेगी।

3. आपाती तौर पर नियुक्त महाशक प्राध्यापक को नियमित नियुक्ति के लिये प्रथम अयत्न करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित होना आवश्यक होगा। लोक सेवा आयोग को इस चयन सूची में चिन आपाती तौर पर नियुक्त महाशक प्राध्यापक का नाम नहीं जाना जायेगा उनको नियुक्ति पत्रा कितनी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।

4. नियुक्त प्रत्याशी यदि अपनी पदस्थापना के महाविद्यालय में दिनांक 25-12-07 तक कार्यभार ग्रहण नहीं करते है तो उनको नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी और उनके स्थान पर दूसरे प्रत्याशी को नियुक्त किया जा सकेगा।

5. नियुक्त प्रत्याशी को एच०डी०/एच०एल, स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा सेकेन्ड्री के मूल प्रमाण पत्रों/अंक सूचियों एवं मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अध्यापन अनुभव के मूल प्रमाण पत्र तैयार प्रार्थी से सत्यापित कराये। अनुरोधित जाति/जनजाति तथा निकलाने प्रत्याशी अपने मूल प्रमाण पत्र प्रार्थी को प्रस्तुत करेंगे।

6. जिला चिकित्सालय का स्थास्थ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निरन्तर .....2



7. जिस महाविद्यालय / विश्वविद्यालय के अंतिम परीक्षा उत्तरीणी को गई है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
8. पूर्व में नियोजित प्रत्याशियों द्वारा आने नियुक्ता द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है ।
9. पद का नाम तथा अतिनवान कितने भी तथ्य शासन द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है ।
10. जिन प्रत्याशियों को अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित पदों के विरुद्ध नियुक्ति दी गई है उनकी सेवाएं इन वर्ग के प्रत्याशि उपलब्ध होती ही बिना किसी पूर्व सूचना समाप्त को जा सकेगी ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार.

*(Signature)*  
आई. एम. एन. गोयल

अपर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर

सूचना /ए-1/147/87/ ए-1/30,

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा, 31050.
3. संबंधित प्रत्याशी आने मूल प्रमाण पत्रों को प्राचार्य से प्रमाणित कराने के पश्चात कार्रधार ग्रहण करें ।
4. विशेष सहायक सचिव-अंत्रोजो उच्च शिक्षा भोपाल ।
5. संबंधित प्राचार्य को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । यदि आपके महाविद्यालय में पद रिक्त नहीं हो तो भी प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण कराएँ । कार्यभार ग्रहण कराकर इसकी सूचना पंजीकृत डाक से डी.डी.व्ही जिला माल, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल को अतिरिक्त भेजे ताकि उनका अंदाकन अन्य स्थान पर किया जा सके ।

दिनांक ..... 3



॥ परिशिष्ट ॥

विषय - शान्त - 11-5

क्रमांक

नाम पता एवं  
जन्मतिथि

पीएचडी  
समाप्ति

सम०स०  
में, प्राप्तिक

महाविद्यालय का  
नाम जहाँ पढ़ाकन  
किया गया है।

1	2	3	4	5
1.	कु० सुधा च्यास. ॥ 17-7-64 ॥ दारा डी०एम०एम०च्यार, 14/1 बान महादुर कंदाउण्ड, उषागंज, इन्दौर।	समाप्ति सः फिल	562/000	शासकीय महाविद्या. बसवराजपुर
2.	कु० ममता शर्मा ॥ 1-7-63 ॥ 30/35, तुलसीनगर, भोपाल।	समाप्ति सः फिल	560/000	शासकीय महाविद्या. सोबेडकरपुर
3.	श्रीमती आरती श्रीवास्तव ॥ 10-1-1960 ॥ 63, विजय नगर, लालघाटी, भोपाल. कु० विनिता गोहिल, ॥ 2-8-65 ॥ दारा श्री डी०के० जैन, ई-1 सिविल लाइन्स, रीवा।	समाप्ति सः फिल	1310 2000	शासकीय महाविद्या. इकावर
5.	कु० सगता श्रीवास्तव ॥ 5-8-1966 ॥ दारा श्री हरिगंजर खरे, शासकन्या महाविद्यालय, मुरार, ग्वालियर	समाप्ति सः फिल	510/000	शासकीय महाविद्या. कन्या गुला
6.	कु० मोना शुक्ला, ॥ 10-3-61 ॥ 76, जलविहार कालोनी, रायपुर.	समाप्ति सः फिल	501/000	शासकीय महाविद्या. बागवैहर
7.	कु० भावना कमल, ॥ 0-6-62 ॥ 62/2 विद्यानगर, विलासपुर.	समाप्ति सः फिल	499/000	शासकीय महाविद्या. कन्या संविनापुर
8.	श्री संजय कुमार नायक ॥ 2-2-62 ॥ 222/ पूर्व अंचल जे. एन. पे. नई दिल्ली 67	समाप्ति सः फिल	497/000	शासकीय महाविद्या. तामिया

निरन्तर..... 2



1	2	3	4	5
17.	सुश्री संध्या भरावो ॥21-12-65॥ पोस्ट वरगोंव, तहोर्डंडोरी, जिला गंडला.	वो०ए० I	464/800	शास०महाविद्यालय, सुसा निदिमा
18.	श्री धनसिंह सहारे ॥5-2-62॥ रामगहरा, नवागाँव पोस्ट धेरथा जाजर, तहो डौडोलीहरा, जिला दुर्ग.	वो०ए० II	464/800	शास०महाविद्यालय, हसरा.
19.	श्री देवनिम मिंज ॥5-2-61॥ पालीजी कुंज छात्रावास, गंगला रोड विलासपुर	वो०ए० II	453/800	शास०महाविद्यालय, कन्या वैदल
20.	कु० स्वपना सिंह ॥16-11-63॥ डो 3/3 चार डेगली, भोपाल I	वो०ए० II	453/800	शास०महाविद्यालय, कन्या राजगट
21.	श्री सादूराम ठाकुर, ग्राम कुकईपार, पोस्ट टोला, तहो गोहला जिला राजनंदिगोंव	वो०ए० II	453/800	शास०महाविद्यालय, कन्या
22.	श्री वलराम सिंह कोरराव ॥ 10-4-65॥ ग्राम पोस्ट हाट कोन्दल, तहो भानुप्रतापपुर जिला वस्तर .	वो०ए० II	439/800	शास०महाविद्यालय, भानुप्रतापपुर
23.	कु० जयन्ती सोशवानी ॥25-7-60॥ अल्पकालीन महिला आश्रमगृह, रासकुई, I, गढेवाली सड़क, लखर, रवालिपर.	वो०ए० II	771/1300	शास०महाविद्यालय, खावरा
24.	कु० किरण नेताम ॥8-12-63॥ दारा श्री भूषण सिंह नेताम, गरवा पल्ली पारा, पोस्ट पंखापुर, तहो नारायणपुर, जिला वस्तर.	वो०ए० II	438/800	शास०महाविद्यालय, सोडा गाँव

निरन्तर :-4



X/ 3 //

परिशिष्ट में अंकित जानकारों का मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन करने के पश्चात ही प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण कराएँ। आयु सीमा एवं शैक्षणिक अर्हताओं को जाँच कर लें। यदि परिशिष्ट में दी गई जानकारों एवं मूल प्रमाण पत्रों में कोई भिन्नता हो तो प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण नहीं कराना है। इसकी सूचना उपरोक्त कड़िका में अंकित अधिकारों को तत्काल भेजें।

*समर्थन*

। आई. एम. एन. गोस्वामी।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग



:-मंत्रालय:-

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी, 2006

कमांक:एफ (1-84/2004/38

राज्य शासन द्वारा, छत्तीसगढ़ आपाती नियुक्तियों का नियमितीकरण नियम, 2005 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छोगो शैक्षणिक वर्ष (महाविद्यालयीन शाखा) में कार्यरत निम्नलिखित अचयनित आपाती सहायक प्राध्यापकों को, आदेश जारी होने के दिनांक से नियमित करते हुए दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है :-

स.क.	सहायक प्राध्यापक का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना स्थान	विषय	वर्ग
1	श्री शेखर कुमार सिन्हा शास० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अबिकापुर	रसायनशास्त्र	सामान्य
2	कु० नीता गुप्ता शासकीय महाविद्यालय, विल्हा	रसायनशास्त्र	सामान्य
3	डॉ० (श्रीमती) प्रतिभा बख्शी शास० दू.ब.महिला महाविद्यालय, रायपुर	रसायनशास्त्र	सामान्य
4	डॉ० (श्रीमती) सीमा नेगी शास० एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुरनगर	रसायनशास्त्र	सामान्य
5	श्री महफूज आरीफ शास० विज्ञान महाविद्यालय, विलासपुर	भूगर्भशास्त्र	सामान्य
6	श्री के०आर० हरी शास० कला विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	भूगर्भशास्त्र	सामान्य
7	श्री ए०एस० झा शास० महाविद्यालय, जगदलपुर	भूगर्भशास्त्र	सामान्य
8	डॉ० (श्रीमती) रश्मि तिवारी शास० विवेकानंद महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़	संगीत	सामान्य
9	डॉ० टी०एस० सेगर शास० महाविद्यालय, नवागढ़	राजनीतिशास्त्र	सामान्य
10	डॉ० एम०एम० बाजपेयी शास० महाविद्यालय, लोरमी	राजनीतिशास्त्र	सामान्य
11	डॉ० के०के० मिश्रा शास० महाविद्यालय, सीपत	राजनीतिशास्त्र	सामान्य
12	कु० हाजरा बानो शास० महाविद्यालय, मरतूरी	राजनीतिशास्त्र	सामान्य
13	डॉ० सुनीता मिश्रा शास० विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	राजनीतिशास्त्र	सामान्य
14	श्रीमती विद्या पाण्डेय शास० महाविद्यालय, करंडोल	राजनीतिशास्त्र	सामान्य
15	डॉ० (श्रीमती) प्रमलता तिवारी शास० दू.ब.महिला महाविद्यालय, रायपुर	राजनीतिशास्त्र	सामान्य

निरन्तर



63	श्रीमती सुनीता झा शास. कला विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	अंग्रेजी	सामान्य
64	श्रीमती निगार सिद्दीकी शास. महाविद्यालय, वैशालीनगर.	अंग्रेजी	सामान्य
65	श्री मनोज कुमार शुक्ला शास. महाविद्यालय, कवर्धा	इतिहास	सामान्य
66	श्रीमती ज्योति धारवार शास. महाविद्यालय, उतई	इतिहास	सामान्य
67	श्रीमती ममता गर्ग शास. कला विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	इतिहास	सामान्य
68	श्री राजीव शर्मा शास. महाविद्यालय, तखतपुर	इतिहास	सामान्य
69	डॉ० (श्रीमती) सरिता दुबे शास. शंकरनगर महाविद्यालय, रायपुर	इतिहास	सामान्य
70	श्री शैलेन्द्र सिंह शास. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनादिगांव	इतिहास	सामान्य
71	श्रीमती अल्पना दुबे शास. कन्या महाविद्यालय, दुर्ग	वाणिज्य	सामान्य
72	डॉ० दीपक कुमार शुक्ला शास. कला वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा	वाणिज्य	सामान्य
73	डॉ० ए०एन० सिंह शास. महाविद्यालय, जांजगीर चांपा	वाणिज्य	सामान्य
74	श्री व्ही०के० शर्मा शास. महाविद्यालय, चांपा	वाणिज्य	सामान्य
75	श्री व्ही०एम० डाण्डेकर शास. महाविद्यालय, चांपा	वाणिज्य	सामान्य
76	श्रीमती प्रीति गुप्ता शास. महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर	वाणिज्य	सामान्य
77	डॉ० जे०पी० दुबे शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर	वाणिज्य	सामान्य
78	श्री डी०के० सिंह शास. महाविद्यालय, विल्हा	वाणिज्य	सामान्य
79	डॉ० (श्रीमती) शकुन्तला त्रिपाठी शास. महाविद्यालय, खैरागढ़	भूगोल	सामान्य
80	श्रीमती संगीता शुक्ला शास. कन्या पी०जी० महाविद्यालय, विलासपुर	भूगोल	सामान्य
81	श्रीमती नम्रता शर्मा शास. महाविद्यालय, कोरवा	भूगोल	सामान्य
82	श्री कौशल प्रसाद कौसिमा शास. पी०जी० महाविद्यालय, धमतरी	भूगोल	अनु०ज०जा०
83	श्रीमती अनिला शर्मा शास. विज्ञान महाविद्यालय, दुर्ग	भूगोल	सामान्य
84	श्री सखाराम कुंजाम शास. महाविद्यालय, नारायणपुर	भूगोल	अनु०ज०जा०

जि.डी.डी.

निसर्कार



आपाती नियुक्त सहायक प्राध्यापकों को नियमित शासकीय सेवा में आने के लिए  
विभाग के आदेश क्रमांक 41/2000, क्रमांक 980/सी-761/वि.नि.चार/2004  
27.10.2004 के तहत 1-11-2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम पर  
तथा आदेशानुसार,

(जी०डी० गुप्ता) उपा. सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक: एफ 1-84/2004/38  
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 18 जनवरी, 2006.

- 1- अपर मुख्य सचिव, मान० मुख्य मंत्री जी, छ०ग०, रायपुर ।
- 2- निज सहायक, मान० मंत्री जी, उच्च शिक्षा, छ०ग० रायपुर ।
- 3- महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
- 4- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर ।
- 5- संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, ..... छ०ग० ।
- 6- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, ..... छ०ग० ।
- 7- संबंधित सहायक प्राध्यापक ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(जी०डी० गुप्ता) उपा. सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग





छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

नया रायपुर

-- 0 --

:: आदेश ::

(5)

पंजीकृत डाकु.से.

नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

क्रमांक 3961 / 3053/2012/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 891/95/2010/01/चयन, दिनांक 04/08/2012 द्वारा सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद हेतु जारी चयन सूची की "मुख्य सूची" में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के पद पर वेतन बैंड 15600-39100 + ग्रेड वेतन 6000 में उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:-

अनु.क.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	कल्पना मिश्रा द्वारा श्री टी.पी. मिश्रा, गोडवाना भवन के पास न्यू सुभाष नगर टिकरागारा, रायपुर, पिन. कोड 492001	शासकीय महाविद्यालय थानखम्हरिया, जिला-बेमेतरा	अनारक्षित महिला
2	सुशील कुमार तिवारी शासकीय हाईस्कूल बचरवार पो. बचरवार, तहसिल-पेन्द्रा, जिला-बिलासपुर, पिन. कोड 495119	शासकीय लरंग साय महाविद्यालय, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर	अनारक्षित
3	डॉ. द्वारिका प्रसाद चन्द्रवंशी ग्र.पो. सैहामालगी, तहसील पंडरिया, जिला कबीरघाम (कवर्धा) छ.ग., पिन. कोड 491559	शासकीय महाविद्यालय, पाण्डातराई, जिला- कवर्धा	अनारक्षित
4	दीपक सिंह क्यू 8, सरगंगा नाथ झों छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उ.प्र.पिन. कोड 211002	शासकीय महाविद्यालय, खडगवा, जिला-कोरिया	अनारक्षित
5	डॉ. श्रीमती आस्था तिवारी द्वारा डॉ. प्रेम दुबे समीप महाराष्ट्र भवन चौबे कालोनी, पंचवटी लेन, रायपुर पिन. कोड 492001	शासकीय महाविद्यालय, बेरला, जिला -बेमेतरा	अनारक्षित महिला
6	पुनीत कुमार राय ग्राम विधियानी, पो. खलिलाबाद, जिला- संत कबीर नगर, उ.प्र. पिन. कोड 272175	शासकीय महाविद्यालय, शंकरगढ़, जिला-बलरामपुर	अनारक्षित
7	शु. वंदना पाण्डेय विद्या निकेतन के पास, चांपा रोड, चंदनियापारा, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन. कोड 495668	शासकीय छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर, जिला-जांजगीर	अनारक्षित महिला
8	नीलेश कुमार अग्रवाल गांधी मोहल्ला, परसिया, जिला-छिदवाड़ा (म.प्र.)पिन. कोड 480441	शासकीय आचार्य पथ श्री गन्धमुनि नाम साहब पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा, कबीरघाम	अनारक्षित

निरंतर .....2

*(Handwritten signature)*




	दिनेश श्रीवास विजयापुरम कालोनी के सामने, देवनंदन नगर, चाटीडीह, जिला-बिलासपुर, पिन. कोड 495001	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर, जिला-बलरामपुर	अनारक्षित	24
10	जॉन हेन्रिलटन टोप्पो द्वारा श्री जॉहन राम चन्द्राकर, ग्राम मैनपुरा, पो.आ. पंडरिया, जिला- कबीरधाम (छ.ग.), पिन. कोड 491559	शासकीय महाविद्यालय, आरा, जिला-जशपुर	अनारक्षित	25
11	लालचंद द्वारा श्री कमल देवांगन, डी.के. टेलर्स, दुर्गाचौक, राजनांदगांव (छ.ग.), पिन. कोड 491441	शासकीय महाविद्यालय, कोटा, जिला-सुकमा	अनारक्षित	26
12	योगेश प्रताप शेखर श्री रणविजय कुमार, नर्मदा-स्मृति आजाद लेन, चौधरी टोला, पटना, पिन. कोड 800006	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर	अनारक्षित	
13	डॉ. तारणीश गौतम लाल खदान, हनुमान मंदिर के पास, बिलासपुर (छ.ग.), पिन. कोड 495004	शासकीय महाविद्यालय, ओडगी, जिला-सूरजपुर	अनारक्षित	
14	शशि कुमार सिंह द्वारा लक्ष्मण विश्वकर्मा, N2/257, पालीटेक्नीक रोड, सुन्दरपुर, पो. सुन्दरपुर, लंका, वाराणसी (उ.प्र.) पिन. कोड 221005	शासकीय महाविद्यालय, प्रेमनगर, जिला-सरगुजा	अनारक्षित	
15	डॉ. मानसी रस्तोगी कभरा नं. -9 US युनिवर्सिटी हॉस्टल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007	शासकीय बाला साहेब देशपाण्डे महाविद्यालय, कुनकुरी, जिला-जशपुर	अनारक्षित महिला	
16	मुवाल सिंह ठाकुर ग्राम-भटगांव, पो. खोरपा, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर(छ.ग.) पिन. कोड 493661	शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, दन्तेवाड़ा, जिला-दन्तेवाड़ा	अनारक्षित	
17	कविता वैष्णव द्वारा के.डी. वैष्णव, मार्गछाया भवन, सेक्टर -1 सड़क-2, प्रोफेसर कालोनी, रायपुर (छ.ग.), पिन. कोड 492001	शासकीय महाविद्यालय, भखारा, जिला-धमतारी	अनारक्षित महिला	
18	शिवशंकर राजवाड़े पिता श्री मनसाय राजवाड़े, ग्राम-पटना, पो.आ. पटना, जिला-कोरिया, पिन. कोड 497331	शासकीय महाविद्यालय, पटना, जिला-कोरिया	अनारक्षित	
19	राजेश कुमार सेठिया जी-24, ग्राम घटपदभूर (भाटागुड़ा) पो. धरमपुरा, जिला-बस्तर 494003	शासकीय शहीद भापूराय महाविद्यालय, सुकमा, जिला-सुकमा	अनारक्षित	
20	डॉ. राजेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा श्री भक्त भूषण चन्द्रवंशी, ई-36 रोहिणी पुरम, रायपुर (छ.ग.), पिन. कोड 492010	शासकीय स्वामी आरमानंद महाविद्यालय, नारायणपुर, जिला-नारायणपुर	अनारक्षित	
21	अभिषेक कुमार पटेल रूम नं. 129 ई. ब्रह्मपुत्र हॉस्टल, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली - 67, पिन. कोड 110067	शासकीय अरविन्द महाविद्यालय, किरणपुर, जिला-दत्तवाड़ा	अनारक्षित	
22	डॉ. डॉ. सुनीता रावौर द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह रावौर, तलवागारा- जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.) पिन. कोड 495668	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय, खरौद, जिला-जांजगीर	अनारक्षित महिला	
23	राम किंकर पाण्डेय द्वारा आलोक मिश्र (एडवोकेट) म.नं. 10/208, पारसनगर, अनंतपुर पो. आ. इंजीनियरिंग कालेज, रीवा (म.प्र.) पिन. कोड 486002	शासकीय लाहिड़ी महाविद्यालय, धिरमिरी, जिला-कोरिया	अनारक्षित	

*(Handwritten Signature)*



11. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।  
 12. इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

2/- इस आदेश में टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।  
 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आंरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
 तथा आवेदानुसार  
  
 (एसओके0 चौधरी)  
 उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
 नया रायपुर, दिनांक 12/11/2012

पृ. क्र. 3962 / 3053/2012/38-1 ::

प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (3) मुख्य सचिव के अवर सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
- (4) विशेष सहायक, मान.मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) कलेक्टर, जिला-..... (छ.ग.)।


की ओर कृपया सूचनार्थ अग्रेषित।

- (7) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक /891/ 95 /2010/01/चयन, दिनांक 04/08/2012 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (8) आयुक्त, उच्च शिक्षा, शासकीय नार्गजुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर छ.ग.।
- (9) संचालक, जनसम्पर्क, रायपुर छ0ग0 की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (10) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

- (11) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय.....की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आवे की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं को सत्यापन एवं आदेश की कडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।

- (12) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-.....
- (13) संबंधित "अभियंता" कार-.....
- (14) आवेश फोल्डर।

  
 उपसचिव  
 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग



महाविद्यालयीन शिक्षा विभाग  
मध्यप्रदेश

रजिस्ट्रार  
पत्र बाहक द्वारा

क्रमांक / प्रति, /मजिस्/स्थाराज/06, भोपाल, दिनांक . 1986

प्राचार्य,  
शासकीय  
विलासपुर  
महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश .

विषय:- तदर्थ सहायक प्राध्यापक 1985-86 की नियुक्ति  
=0=

कृपया संलग्न प्रपत्र पर अंकित चयनित के मूल अभिलेखों को अभिप्रेषित कर उन्हें नियतविषय में आपके महाविद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति दें।

संलग्न प्रपत्र पर अंकित योग्यताएँ पूरी न होने पर नियुक्ति न दी जावे। तदर्थ नियुक्ति के समय निम्न बातें ध्यान में रखी जावें :-

1. पूर्ण एकवर्ष से कम शैक्षणिक अनुभव को शून्य माना जावे।
2. एक वर्ष के पूर्ण शैक्षणिक अनुभव पर 3 प्रतिशत अंक का अधिकार दिया जावे।
3. इसके बाद प्रत्येक पूर्ण वर्ष के शैक्षणिक अनुभव पर 2 प्रतिशत अंक का अधिकार दिया जावे & कम पर नहीं।
4. तदर्थ नियुक्ति गतवर्ष की भर्ती ही, 6 माह के लिए दी जाय। 6 माह की अवधि समाप्त होने पर 3 दिन का ब्रेक देकर पुनः इती प्रकार नियुक्ति दें। प्रत्येक उम्मीदवार का नियुक्ति आदेश गत वर्ष निर्धारित किये गये प्रारूप पर पृथक निकाला जावे।

महाविद्यालयीन शिक्षा आयुक्त के  
आदेशानुसार

§ डॉ. सतीश शर्मा §  
नियुक्त तंवालक  
महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्यप्रदेश

सलीम/



// प्रारूप //

विषय :- रतानायात्र

1. नाम :- कुं यंदना दत्त
2. पिता/पति का नाम :- श्री बीरेन दत्त
3. पता :- द्वारा श्री श्रीराम दत्त, "मातृ-मंदीर" वेयर हाऊस रोड, बुद्धदण्ड  
बिलासपुर, मध्य प्रदेश।
4. जन्मतिथि :- 5.5.1962
5. पीएचडी :- ~~बुद्धदण्ड~~
6. हायर सेकेण्ड्री :- 557/800
7. स्नातक :- 616/1000
8. स्नातकोत्तर :- 766/1200
9. योग :-
10. एम.फिल :- ~~बुद्धदण्ड~~
11. अध्यापन अनुभव :-
12. योग्यता का प्रतिज्ञात :-

पु.क्र.सं.क

937

डॉ.एस.सी.वर्मा  
संयुक्त संचालक,  
महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश,  
/अक्षांश/स्था.0/राज.0/85, भोपाल, दिनांक 31-1-86

प्रतिनिधि :-

1/- प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, बिलासपुर म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2/- ~~प्राचार्य~~ कुं यंदना दत्त,

पता द्वारा श्री श्रीराम दत्त, "मातृ मंदीर" वेयर हाऊस रोड, बुद्धदण्ड बिलासपुर, म.प्र.

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया आम दिनांक 17.2.86 तक प्राचार्य,

शासकीय महाविद्यालय, बिलासपुर म.प्र. के समक्ष सभी

मूल प्रमाणा-पत्रों के साथ उपस्थित हों एवं तदर्थ नियुक्ति के आदेश

प्राप्त करें। जवाइनिंग टाइम कदापि बढ़ाया नहीं जावेगा।

डॉ.एस.सी.वर्मा  
संयुक्त संचालक,  
महाविद्यालयीन शिक्षा, मध्य प्रदेश.

सुश.लि.सं.सं./29/86/



कार्यालय प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
बिलासपुर 4090

॥ वादेश ॥

क्रमांक 1 स्था। ८५-८६ बिलासपुर दिनांक 1 1

महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक १०२९/१२४२१ मसिं  
स्था-०/८५-८६ दिनांक २५/१२-४-८५ के परिपालन में निम्नलिखित तदर्थ सहायक प्राध्यापकों  
की पुनर्नियुक्ति उनके नाम के समझ दर्शाये गये विषय पत्र दिनांक 4-2-86

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी, तदर्थ तथा नियुक्ति (कार्यगृह T) के दिनांक से 28 2 86  
६ माह के लिए अथवा शासन द्वारा नियुक्ति नियमित व्यक्ति का संबंधित पद पर कार्यवाही तक  
आज्ञा कार्यगृह T करने तक अथवा अन्य आदेश तक जो भी पहले के हों के लिए है।  
तथा स्वयं से कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर बिना पूर्व सूचना के स्वयंसेवक समाप्त हो जायेगा।  
नियुक्त तदर्थ सहायक प्राध्यापकों को शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान रुपये ७००-१५००  
का नियु- न्यूनतम वेतन रुपये ७००/- पाने की पात्रता होगी।

क्रम संख्या तदर्थ व्याख्याता का नाम विषय

① श्री चंदना टोला

रसायन शास्त्र

पृ० प्र० 1111 स्था। ८५-८६

बिलासपुर दिनांक

4-2-86 Sol

प्रतिनिधि:-

Patnaipal,

1001 Post-graduate College,  
Bilaspur, M. P.

- १- संबंधित तदर्थ सहायक प्राध्यापक को सूचनार्थ ।
- २- कार्यालय लेखापाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ ।
- ३- वायुक्त, महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन भोपाल को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- ४- अतिरिक्त संचालक महाविद्यालयीन शिक्षा बिलासपुर अंशग बिलासपुर को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

V. B. Chandra

Patnaipal, 4-2-86

प्राचार्य  
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय



मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
महाविद्यालय सेवा आयोग  
// आ. //

भोपाल, दि. 20 अप्रैल, 1993

क्रमांक एफ-1/122/93/ए-1/30 इराजनी विभाजन-मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से क्वान्ति निम्नलिखित उम्मीदवारों को अधिक उच्चतम राजकीय विभाजन के पद पर वेतनमान रुपये 2200-75-2800-100-4000 में उनके नाम के समस्त अंकित महाविद्यालय में अस्थायी रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के लिये के लिये नियुक्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय जहां पदस्था किया जाता है।
131.	श्री नीरज कुमार झा 40, ब्रह्मपुत्र, होस्टल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई-दिल्ली 110067	शासकीय एम. जे. एम. महाविद्यालय भिण्ड
133.	श्री प्रभात चौधरी द्वारा श्री डी. एन. शेहता, मकान नं. -1/43, सड़क नम्बर-10 न्यु पाटीलपुर कालोनी, पटना 8 विहार 800001	शासकीय महाविद्यालय शमीपुरकला शुरैना
135.	श्री अनुराग वर्धन पाण्डे द्वारा श्री के. के. श्रीमिल गेली, कालोनी 63-अ/3, स्टेवली रोड, झलाडाबाद-211002	शासकीय महाविद्यालय सदरपुर इधार
136.	श्री जितेन्द्र कुमार विश्वादी - प्लॉट निवास, बरहूपुर रोड, सहतपुर जिला दिलावरपुर, 495330	शासकीय महाविद्यालय, गोगो
137.	श्री हेमलाल वर्मा ग्राम भिरी, पो. आ. सराटा, काया-बनारी जिला रायपुर 4950-495-223	शासकीय महाविद्यालय इधार
138.	श्री रतीश मिश्रा द्वारा मिश्रा मेडिकल-5-6 विश्वकर्मा मार्ग, काया-बनारी जिला रायपुर	शासकीय महाविद्यालय इधार



**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**मंत्रालय**  
**महानदी भवन, नया रायपुर**

-- 0 --  
**:: आदेश ::**

नया रायपुर, दिनांक 11/07/2018


क्रमांक एफ 1- 28/2017/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक ( राजनीति शास्त्र) के पद हेतु अनुपूरक सूची से चयनित अभ्यर्थी को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक (राजनीति शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 8000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परिवीक्षा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	पदस्थापना स्थल का नाम	चयन रिमार्क
1	2	3	4
1	श्री विनीत कुमार गुप्ता, आ. श्री कुशल किशोर गुप्ता, ग्राम व पो.खैरागढ़, जनपद- फिरोजाबाद उ.प्र.205145	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	UR
2	श्री सुरेश कुमार आडवानी, आ. स्व श्री सेवक राम आडवानी, ए 30 हाउसिंग बोर्ड कालोनी चक्रधर नगर रायगढ़ छ.ग. 496001	शासकीय रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़	UR
3	श्री त्रिपुरेश पाठक आ. श्री प्रदीप कुमार पाठक, 9 के आईएसए ए.एन.झा. मार्ग गेओरगे टाउन इलाहाबाद 211002	शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय, गुण्डरदेही	UR

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दावेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
- नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
- आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी

.....2





//2//

- की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ज़ायिंग लाईसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
  8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
  9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे।
  10. यह नियुक्ति पूर्णतः अंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
  11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
  12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।
- 2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( दुर्गा देवागन )  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
नया रायपुर, दिनांक 1/07/2018

पृ.क्र. एफ 1-28/2017/38-1  
प्रतिलिपि :-

- (1) राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर।
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।

.....3



- (6) निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।  
(7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।  
(8) कलेक्टर, जिला ..... (छ.ग.)।  
(9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 605/22/चयन/17/11/Y दिनांक 17.5.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।  
(10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।  
(11) अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।  
(12) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, विलासपुर/अंबिकापुर/बस्तर/जगदलपुर(छ.ग.)।  
(13) संबंधित प्राचार्य, ..... की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावें।  
(14) जिला कोषालय अधिकारी, जिला ..... (छ.ग.)।  
(15) संबंधित सर्वश्री.....  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।  
(16) आदेश फोल्डर।

  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग





कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)

Email Id - principalgovtkskycollege@rediffmail.com

क्रमांक - 539 / अ.व्या. / 2021

गुण्डरदेही, दिनांक - 23-02-2021

प्रति,

डॉ.(कु.) तृप्ति राजपूत  
द्वारा - नंद कुमार सिंह राजपूत  
बी./3 कर्मचारी नगर दुर्ग (छ.ग.)  
पिन - 491001

विषय -  
संदर्भ -

अतिथि व्याख्याता (भूगोल) हेतु आमंत्रण।

01. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के Order Sheet WPS No. 7525 of 2017

02. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 339/निस/आउशि/2021  
नया रायपुर, दिनांक - 23-02-2021

.....0.....

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर के निर्देशानुसार आपको अतिथि व्याख्याता भूगोल हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक - 01-03-2021 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 01-03-2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।



10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
12. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संदर्भ क्र. 01 के अधीन रहेगा।



डॉ. (श्रीमती) शर्द्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 23-02-2021

पृ.क. 540 / अ.व्या. / 2021  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ. (श्रीमती) शर्द्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

प्रत प्राप्त किया  
23/02/2021  
Rajiv Nt.

o/c





कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)

Email Id - gskycollege@gmail.com

गुण्डरदेही, दिनांक - 19-03-2021

क्रमांक - 619 / अ.व्या. / 2021

प्रति,

गिरिजा  
कान्ट्रेक्टर कालोनी, सुपेला भिलाई  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)


विषय - अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) हेतु आमंत्रण।  
संदर्भ - कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 339/निस/आउशि./2021  
नया रायपुर, दिनांक - 23-02-2021

.....0.....  
विषयांतर्गत संदर्भानुसार लेख है कि आपको अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक - 22-03-2021 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 22-03-2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।




10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किरसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

  
PRINCIPAL  
Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehl, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 19-03-2021

पृ.क. 620 /अ.व्या./2021  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

  
PRINCIPAL  
Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehl, Dist. - Balod (C.G.)

OK





कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)  
Email Id - principalgovtkskycollege@rediffmail.com

माक - 596 / अ.व्या. / 2021

गुण्डरदेही, दिनांक - 08-03-2021

श्री दीपक सिंह,  
म.नं., 494, बड़े शिव मंदिर के पास  
सुभाष नगर, दुर्ग (छ.ग.)

प्रय - अतिथि व्याख्याता (राजनीति विज्ञान) हेतु आमंत्रण।  
दर्भ - कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 339/निस/आजशि./2021  
नया रायपुर, दिनांक - 23-02-2021

- विषयांतर्गत संदर्भानुसार लेख है कि आपको अतिथि व्याख्याता राजनीति विज्ञान हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक - 13-03-2021 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
  2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
  3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अतिथि कार्य कर रहा है।
  4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बतौर (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
  5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा। माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
  6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
  7. दिनांक - 13-03-2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वभाव प्रभावहीन माना जायेगा।
  8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
  9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।

o/c  
Received  
13/3/21



10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

*(Signature)*

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
(Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.))

गुण्डरदेही, दिनांक - 08-03-2021

पृ.क. 597 / अ.व्या. / 2021  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

*(Signature)*

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
(Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.))

गुण्डरदेही, दिनांक - 08-03-2021

*(Handwritten mark)*

प्राचार्य





कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id – principalgovtskycollege@rediffmail.com

क्रमांक – 639 /अ.व्या./2021

गुण्डरदेही, दिनांक – 23-03-2021

प्रति,

डॉ.पोखराज शर्मा  
शान्ता कॉटेज कसारीडीह, दुर्ग  
जिला – दुर्ग (छ.ग.)

- विषय – अतिथि व्याख्याता (रसायनशास्त्र) हेतु आमंत्रण।  
संदर्भ – 01. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के WPS No. 1687 of 2021  
Date – 16-03-2021  
02. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचानालय का पत्र क्र. 339/निस/आउशि/ 2021, नवा रायपुर,  
दिनांक – 23-02-2021

.....0.....

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर के निर्देशानुसार आपको अतिथि व्याख्याता रसायनशास्त्र हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक – 30-03-2021 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020 - 21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक – 30-03-2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।



9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।
10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
12. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संदर्भ क्र. 02 के अधीन रहेगा।



डॉ. (श्रीमती) शर्दा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 23-03-2021

पृ.क. 640 / अ.व्या. / 2021  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।
4. अतिथि व्याख्याता नस्ति।



डॉ. (श्रीमती) शर्दा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

o/c





कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)

Email Id - principalgovtskycollege@rediffmail.com

गुण्डरदेही, दिनांक - 23-02-2021

क्रमांक - /अ.व्या./2021

प्रति,

कु. निशा देशलहरे  
H.No. 524  
गा. व पो. - कुरुद, गिलाई  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)  
पिन - 490024

विषय -  
संदर्भ -


अतिथि व्याख्याता (वनस्पतिशास्त्र) हेतु आमंत्रण।  
01. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के Order Sheet WPS No. 2620 of 2018  
Date - 03-04-2018  
02. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 339/निस/आउशि/2021  
नया रायपुर, दिनांक - 23-02-2021

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर के निर्देशानुसार आपको अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक - 01-03-2021 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020-21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 01-03-2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।




9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।
10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
12. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संदर्भ क्र. 01 के अधीन रहेगा।

  
 डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
**PRINCIPAL**  
 Govt Shahid Koushal Yadav College  
 Gunderdeh, Distt. Balod (C.G.)

पृ.क. 538 / अ.व्या. / 2021  
 प्रतिलिपि -

गुण्डरदेही, दिनांक - 23-02-2021

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

  
 डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
**PRINCIPAL**  
 Govt Shahid Koushal Yadav College  
 Gunderdeh, Distt. Balod (C.G.)





कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id – gskycollege@gmail.com

क्रमांक - 627 / अ.व्या. / 2021

गुण्डरदेही, दिनांक - 22-03-2021

प्रति,

मेनका साहू  
ग्राम – अर्जुनी, पोस्ट गोरकापार,  
तहसील – गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

विषय –  
संदर्भ –

अतिथि व्याख्याता (सूक्ष्मजीव विज्ञान) हेतु आमंत्रण।  
कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 339/निस/आउशि./2021  
नया रायपुर, दिनांक – 23-02-2021

.....0.....

विषयांतर्गत संदर्भानुसार लेख है कि आपको अतिथि व्याख्याता सूक्ष्मजीव विज्ञान हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक – 26-03-2021 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2020 - 21 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक – 26-03-2021 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।



10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।



डॉ. (श्रीमती) शर्द्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehl, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 22-03-2021

पृ.क. 628 /अ.व्या./2021  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ. (श्रीमती) शर्द्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehl, Dist. - Balod (C.G.)

o/c



कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id – principalgovtskycollege@rediffmail.com

क्रमांक – 306/अ.व्या./2019

गुण्डरदेही, दिनांक – 06-09-2019

प्रति,

कु. निशा देशलहरे  
ग्रा.-कातरो, पोस्ट – खोपली  
तह. व जिला – दुर्ग (छ.ग.)  
पिन कोड – 491107

विषय –

अतिथि व्याख्याता (वनस्पतिशास्त्र) हेतु आमंत्रण।

संदर्भ –

01. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के Order Sheet WPS No. 2620 of 2018

Date – 03-04-2018

02. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019  
दिनांक – 31-08-2019

.....0.....

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर के निर्देशानुसार आपको अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक – 13-09-2019 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019 - 20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक – 13-09-2019 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।









कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)

Email Id - principalgovtcollege@rediffmail.com

गुण्डरदेही, दिनांक - 06-09-2019

क्रमांक - 312 / अ.व्या. / 2019

प्रति,

नेहा कुंजाम  
क्वा. नं. - 4 राधिका विहार,  
सीपत रोड, बिलासपुर जिला - बिलासपुर (छ.ग.)  
पिन - 495001

विषय -  
संदर्भ -

अतिथि व्याख्याता (सूक्ष्मजीवविज्ञान) हेतु आमंत्रण।

01. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के Order Sheet WPS No. 612 of 2019  
Date - 31-01-2019

02. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019  
दिनांक - 31-08-2019

.....0.....

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर के निर्देशानुसार आपको अतिथि व्याख्याता **माईक्रोबायलॉजी** हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक - 13-09-2019 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019 - 20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 13-09-2019 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।



10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
12. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संदर्भ क्र. 01 के अधीन रहेगा।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर


PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 06-09-2019

पृ.क. 313 /अ.व्या./2019  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

o/c

Received  
Jais



कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)  
मांक - 356/अ.व्या./2019 गुण्डरदेही, दिनांक - 24-09-2019

ति.

डॉ.पोखराज शर्मा  
शान्ता कॉटेज कसारीडीह, दुर्ग  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)

विषय - अतिथि व्याख्याता (रसायनशास्त्र) हेतु आमंत्रण।

.....0.....

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 1446/243/आउशि/अ.व्या.  
/2019, दिनांक - 31-08-2019 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता रसायनशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019 - 20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 30-09-2019 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।
10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।



11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Distt. Balod (C.)

पृ.क्र. 357 / अ.व्या. / 2019  
प्रतिलिपि -

गुण्डरदेही, दिनांक - 24-09-2019

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Distt. Balod (C.)

ole





कार्यालय - प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)

Email Id - principalgovtkskycollege@rediffmail.com

क्रमांक - 625 / अ.व्या. / 2020

गुण्डरदेही, दिनांक - 13-01-2020

प्रति,

श्री दीपक सिंह  
म.नं. 494, बड़े शिव मंदिर मे पास  
सुभाष नगर दुर्ग, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

विषय - अतिथि व्याख्याता (राजनीतिविज्ञान) हेतु आमंत्रण।

.....0.....

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019, दिनांक - 31-08-2019 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता राजनीतिविज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019 - 20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 20-01-2020 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य/विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।




10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणेत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।

**प्रधान्या PAL**  
Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 13-01-2020

पृ.क्र. 626 / अ.व्या. / 2020  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

  
**प्रधान्या PAL**  
Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

o/c





कार्यालय – प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id – principalgovtkskycollege@rediffmail.com

क्रमांक – 310 / अ.व्या. / 2019  
प्रति,

गुण्डरदेही, दिनांक – 06-09-2019

डॉ. पूजा सिंह  
MIG - 20 मीनाक्षी नगर  
बोरसी रोड, दुर्ग (छ.ग.)  
जिला – दुर्ग (छ.ग.)  
पिन – 491001

विषय –  
संदर्भ –

अतिथि व्याख्याता (राजनीतिविज्ञान) हेतु आमंत्रण।

01. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के Order Sheet WPS No. 7525 of 2017

02. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019  
दिनांक – 31-08-2019

.....0.....

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर के निर्देशानुसार आपको अतिथि व्याख्याता राजनीतिविज्ञान हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक – 13-09-2019 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019 - 20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक – 13-09-2019 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।



10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
12. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संदर्भ क्र. 01 के अधीन रहेगा।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
प्राचार्य

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 06-09-2019

पृ.क. 311 / अ.व्या. / 2019  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
प्राचार्य

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

o/c

Received

Principal





कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

Email Id – principalgovtsskycollege@rediffmail.com

गुण्डरदेही, दिनांक – 06-09-2019

क्रमांक – 308 /अ.व्या./2019

प्रति,

डॉ.(कृ.) तृप्ति राजपूत  
द्वारा – नंद कुमार सिंह राजपूत  
बी./3 कर्मचारी नगर दुर्ग (छ.ग.)  
पिन – 491001

विषय –  
संदर्भ –

अतिथि व्याख्याता (भूगोल) हेतु आमंत्रण।

01. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के Order Sheet WPS No. 7525 of 2017

02. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 1446/243/आउशि/अ.व्या./2019  
दिनांक – 31-08-2019

.....0.....

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर के निर्देशानुसार आपको अतिथि व्याख्याता **भूगोल** हेतु आमंत्रित किया जाता है। अतः आप दिनांक – 13-09-2019 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2019 - 20 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक – 13-09-2019 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।
8. महाविद्यालय में अनुशासन एवं गरिमापूर्ण तरीके से अपना कार्य सम्पन्न करेंगे तथा प्राचार्य / विभागाध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार सेवा का निष्पादन करेंगे।
9. सामान्यतः किसी भी संस्था में अवैतनिक रूप से भी कार्य करने की अनुमति नहीं दी जावेगी किन्तु किसी संस्था में अवैतनिक कार्य करने के लिए सम्पूर्ण विवरण सहित विभागाध्यक्ष से अनुमति लेने के पश्चात् ही महाविद्यालय में निर्धारित कालखण्डों के उपरान्त ही अवैतनिक कार्य कर सकेंगे।

10. महाविद्यालय में प्रतिदिन 07 घण्टे अनिवार्यतः उपस्थित रहना होगा। बिना पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने पर आपके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
11. महाविद्यालय में यदि आपके विरुद्ध शैक्षणिक एवं शैक्षणोत्तर कार्यों में किसी प्रकार की शिकायत या अनुशासनहीनता जाँच उपरान्त सही पायी जाती है तो प्राचार्य को आपकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा।
12. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश संदर्भ क्र. 01 के अधीन रहेगा।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 06-09-2019

पृ.क. 309/अ.व्या./2019  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) ।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
प्राचार्य  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)



o/c



(8)

R-12

कार्यालय - प्राचार्य  
 शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)  
 क्रमांक - 498 /स्था./न्या.प्र./2018 गुण्डरदेही, दिनांक - 11-10-2018

प्रति.  
 कु. निशा देशलहरे  
 ग्रा.-कातरो, पोस्ट - खोपली  
 तह. व जिला - दुर्ग (छ.ग.)  
 पिन कोड - 491107

विषय - अतिथि व्याख्याता (वनस्पतिशास्त्र) हेतु आमंत्रण।  
 संदर्भ - 01. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के Order Sheet WPS No. 4603 of 2018 Nutan Sahu & Anr. Vs. State of Chhattishgarh & Ors. & WPS No. 2620 of 2018 Date - 12-07-2018  
 02. कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर का पत्र क्र. 1984/आउशि/न्या.प्र./2018 दिनांक - 09-10-2018

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय अटल नगर के निर्देशानुसार आपको अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र हेतु आमंत्रित किया जाता है। आप दिनांक - 17-10-2018 तक कार्यालयीन अवधि में अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2018 - 19 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 17-10-2018 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।

*[Signature]*  
 PRINCIPAL  
 Govt. Shahid Koushal Yadav College  
 Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)  
 गुण्डरदेही, दिनांक - 11-10-2018

पृ.क. 499 /स्था./न्या.प्र./2018  
 प्रतिलिपि -

01. महाधिवक्ता, छ.ग., उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)
02. सचिव, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
03. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

Received.

*[Signature]*  
 11/10/18  
 Nisha Deshlahare

*[Signature]*  
 PRINCIPAL  
 Govt. Shahid Koushal Yadav College  
 Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

GEST PROFF\_Formate.doc49

o/c

कार्यालय - प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 10-08-2018

क्रमांक - 315 /अ.व्या./2018

प्रति,

नेहा कुंजाम

क्वा. नं. - 4 राधिका विहार,

सीपत रोड, बिलासपुर जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

पिन - 495001

विषय - अतिथि व्याख्याता (सूक्ष्मजीवविज्ञान) हेतु आमंत्रण।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 13-07-2018 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आरशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर, दिनांक - 24-07-2018 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता सूक्ष्मजीवविज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2018 - 19 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 17-08-2018 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College

Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 10-08-2018

पृ.क. 316 /अ.व्या./2018

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College

Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

  
10/8/18

o/c



कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)  
गुण्डरदेही, दिनांक - 03-01-2019

क्रमांक - 646/अ.व्या./2019

प्रति,

अंजली तिवारी  
D/o श्री रमेश कुमार तिवारी  
Qu. No. - 5/B, Street - 32  
Sector - 10 Bhilai Nagar  
Distt- Durg (C.G.)  
Pin - 490006

विषय - अतिथि व्याख्याता (रसायनशास्त्र) हेतु आमंत्रण।

.....0.....  
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 13-07-2018 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर, दिनांक - 24-07-2018 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता रसायनशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2018 - 19 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 11-01-2019 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
प्राचार्य P.A.L.

Govt. Shahid Koushal Yadav Collie  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 03-01-2019

पृ.क्र. 647/अ.व्या./2019

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
प्राचार्य P.A.L.

Govt. Shahid Koushal Yadav Collie  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

GEST PROFF \_Formate.doc57

Anjali. Hinni  
03/01/2019

कार्यालय - प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)

क्रमांक - 303 /अ.व्या./2018

गुण्डरदेही, दिनांक - 08-08-2018

प्रति,

डॉ. पूजा सिंह  
MIG - 20 मीनाक्षी नगर  
बोरसी रोड, दुर्ग (छ.ग.)  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)  
पिन - 491001

विषय - अतिथि व्याख्याता (राजनीतिविज्ञान) हेतु आमंत्रण।

.....0.....

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 13-07-2018 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर, दिनांक - 24-07-2018 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता राजनीतिविज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2018 - 19 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 13-08-2018 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College

Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 08-08-2018

पृ.क्र. 304 /अ.व्या./2018

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College

Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

GEST PROFF. Formate.doc29

o/c  
Pooja Singh  
08/08/18



कार्यालय - प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)

क्रमांक - 364 /अ.व्या./2018

गुण्डरदेही, दिनांक - 05-09-2018

प्रति,

डॉ.(कु.) तृप्ति राजपूत  
द्वारा - नंद कुमार सिंह राजपूत  
बी./3 कर्मचारी नगर दुर्ग (छ.ग.)  
पिन - 491001

विषय - अतिथि व्याख्याता (भूगोल) हेतु आमंत्रण।

.....0.....  
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 13-07-2018 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 1864/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2018 नया रायपुर, दिनांक - 24-07-2018 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता भूगोल हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2018 - 19 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 12-09-2018 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College

Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 05-09-2018

पृ.क. 365 /अ.व्या./2018

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College

Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

कार्यालय - प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)

क्रमांक - 307 /अ.व्या./2017

गुण्डरदेही, दिनांक - 02-08-2017

प्रति,

कु.निशा देशलहरे  
ग्राम - कातरो, पोस्ट - खोपली  
तह. व जिला - दुर्ग (छ.ग.)  
पिन - 491107

विषय - अतिथि व्याख्याता (वनस्पतिशास्त्र) हेतु आमंत्रण।

.....0.....

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 533/671/आउशि/अ.व्या./2017 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 05-08-2017 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)  
गुण्डरदेही, दिनांक - 02-08-2017

पृ.क. . 308 /अ.व्या./2017  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)



कार्यालय - प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 05-08-2017

क्रमांक - 318 /अ.व्या./2017


प्रति,

श्री दशरथ कुमार जोशी  
आ. श्री रामदास जोशी  
गा.- कातलवाही, पो.- मुसराकला  
तह.- डोंगरगढ़, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)  
पिन - 491441

विषय - अतिथि व्याख्याता (माईक्रोबायलॉजी) हेतु आमंत्रण।

.....0.....  
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 533/671/आउशि/अ.व्या./2017 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता माईक्रोबायलॉजी हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 10-08-2017 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)  
गुण्डरदेही, दिनांक - 05-08-2017

पृ.क. 319 /अ.व्या./2017

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

olc

कार्यालय - प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 02-09-2017

क्रमांक - 387 /अ.व्या./2017

प्रति,

डॉ.(कु) तारेश्वरी गजपाल  
D/o श्री के.सी.गजपाल  
ग्रा. व पो. - सिकोरा  
वि.खं. - गुण्डरदेह, जिला - बालोद (छ.ग.)

विषय - अतिथि व्याख्याता (राजनीतिविज्ञान) हेतु आमंत्रण।

.....0.....  
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 533/671/आउशि/अ.व्या./2017 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता राजनीतिविज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2017 - 18 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 07-09-2017 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 02-09-2017

पृ.क्र. 388 /अ.व्या./2017

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

o/c



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर

प्राचार्य  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)



कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)  
क्रमांक - 301-A/अ.व्या./2017 गुण्डरदेही, दिनांक - 31-07-2017

प्रति,

डॉ. पूजा सिंह  
C/o डॉ. डी. एन. सूर्यवंशी  
1576, साईं सदन आदर्श नगर, दुर्ग (छ.ग.)  
जिला - दुर्ग (छ.ग.)  
पिन - 491001

विषय - अतिथि व्याख्याता (राजनीतिविज्ञान) हेतु आमंत्रण।

.....0.....  
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 533/671/आउशि/अ.व्या./2017 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता राजनीतिविज्ञान हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 05-08-2017 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)  
गुण्डरदेही, दिनांक - 31-07-2017

पृ.क. B /अ.व्या./2017  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ. (श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

o/c

कार्यालय - प्राचार्य  
शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)  
क्रमांक - 333 / अ.व्या. / 2017 गुण्डरदेही, दिनांक - 09-08-2017

प्रति,

डॉ.(कु.) तृप्ति राजपूत  
आ. श्री नंदकुमार राजपूत  
द्वारा श्री नंदकुमार राजपूत बी/3 लक्ष्मी गृह  
निर्माण समिति साईड एस.के.भरने, कर्मचार नगर  
दुर्ग, जिला - दुर्ग (छ.ग.)  
पिन - 492001

विषय - अतिथि व्याख्याता (भूगोल) हेतु आमंत्रण।

.....0.....  
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 4-2/2013/38-1 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 533/671/आउशि/अ.व्या./2017 नया रायपुर, दिनांक - 01-07-2017 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता भूगोल हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2017-18 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 14-08-2017 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।




डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)  
गुण्डरदेही, दिनांक - 09-08-2017

पृ.क. 334 / अ.व्या. / 2017  
प्रतिलिपि -


1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।



डॉ.(श्रीमती) श्रद्धा चन्द्राकर  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

GEST PROFF\_ Formate.doc40

  
10/08/17

o/c



प्रति ,

श्री नीरज वाल्दे  
S/o श्री पंचम लाल वाल्दे  
ग्राम - डोगरगांव पो.-रेंगाकठेरा  
तह. - अम्बागढ़ चौकी, जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- अतिथि व्याख्याता (वनस्पतिशास्त्र) हेतु आमंत्रण।

.....0.....

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र पृ. क्रमांक 4352/एफ4 - 2/2016-17/38-1 रायपुर, दिनांक 30.05.2016 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 138/आउशि/अ.व्या./2016 रायपुर, दिनांक 01.06.2016 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता वनस्पतिशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2016 - 17 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक 10/09/2016 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।

  
(डॉ. डी.आर. मेथाम)  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)  
गुण्डरदेही, दिनांक - 03-09-2016

पृ. क्र. 359/अ.व्या./2016

प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.) ।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद।
3. स्था./लेखा. शाखा शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

  
(डॉ. डी.आर. मेथाम)  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

कु. स्वाति

आ.- श्री गौरीशंकर

मकान नं.-372 वार्ड क्र.-40,

बाबा फलोर मिल के पास

केलाबाड़ी दुर्ग, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

पिन - 491001

विषय - अतिथि व्याख्याता (रसायनशास्त्र) हेतु आमंत्रण।

.....0.....  
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र पृ. क्रमांक 4352/एफ4 - 2/2016-17 / 38-1 रायपुर, दिनांक-30.05.2016 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 138/आउशि/अ.व्या./2016 रायपुर, दिनांक 01.06.2016 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता रसायनशास्त्र हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2016 - 17 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 15-11-2016 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।

(डॉ. डी.आर.मिश्रा)

प्रभारी प्राचार्य

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक - 08-11-2016

पृ.क्र. 572 / अ.व्या. / 2016  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

(डॉ. डी.आर.मिश्रा)

प्रभारी प्राचार्य

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)



कु. वसुंधरा चंद्राकर  
आ.-वासुदेव चंद्राकर  
ग्रा. व पो.- कचांदुर, तह.-गुण्डरदेही  
जिला - बालोद (छ.ग.)  
पिन - 491223

षय - अतिथि व्याख्याता (सूक्ष्मजीवविज्ञान) हेतु आमंत्रण।

.....0.....  
छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र पृ. क्रमांक 4352/एफ4 - 2/2016-17/  
38-1 रायपुर, दिनांक-30.05.2016 एवं कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक  
138/आउशि/अ.व्या./2016 रायपुर, दिनांक 01.06.2016 के तारतम्य में अतिथि व्याख्याता सूक्ष्मजीवविज्ञान  
हेतु आपको आमंत्रित किया जाता है।

1. अध्यापन हेतु प्रति व्याख्यान 200 रु. जो प्रतिदिन 800 रु. तथा प्रतिमाह 20800/- से अधिक नहीं देय होगा।
2. अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे और वे लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जाएंगे।
3. महाविद्यालय में उपस्थित होते समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है और न ही वह किसी भी अन्य शासकीय/अर्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है और न ही वह अन्य किसी महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा है।
4. अतिथि व्याख्याता की सेवाएं भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं बनेगा और न ही वे अधिमानिक बर्ताव (Preferential Treatment) के हकदार होंगे।
5. अध्यापन कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्य से मुक्त किया जा सकेगा।
6. यह व्यवस्था तभी तक होगी जब तक चालू सत्र 2016 - 17 में अध्यापन कार्य जारी रहेगा।
7. दिनांक - 31-01-2017 तक आमंत्रित व्याख्याता महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन माना जायेगा।

(डॉ. डी.आर.मेश्राम)  
प्रभारी प्राचार्य  
PRINCIPAL

Govt. Shalid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)  
गुण्डरदेही, दिनांक - 24-01-2017

पृ. क्र. 778 /अ.व्या./2017  
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लॉक सी - 30 द्वितीय तल एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
2. जिला कोषालय अधिकारी बालोद, जिला - बालोद (छ.ग.)।
3. स्था./लेखा. शास. शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.)।

(डॉ. डी.आर.मेश्राम)  
प्रभारी प्राचार्य  
PRINCIPAL

Govt. Shalid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

कार्यालय – प्राचार्य

शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

क्रमांक – 309 / ज.भा.प्र.स. / 2016

गुण्डरदेही, दिनांक – 16-08-2016


प्रति,

कु.तारेश्वरी गजपाल  
C/o डॉ.एल.एस.गजपाल  
क्वा. नं. बी-4, शिक्षक कॉलोनी  
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर  
रायपुर (छ.ग.)

विषय – राजनीतिविज्ञान विषय में अध्यापन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत आमंत्रण।

.....0.....

स्थानीय जनभागीदारी प्रबंधन समिति के द्वारा राजनीतिविज्ञान विषय में अध्यापन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु जनभागीदारी मद से आपको एकमुश्त रूपये – 6000=00 (अक्षरी पांच हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह देय होगा। दिनांक – 22-08-2016 तक आमंत्रित सहायक प्राध्यापक महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होता है तो यह पत्र स्वमेव प्रभावहीन हो जायेगी।



(डॉ.डी.आर.मेशम)

प्रभारी प्राचार्य  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

गुण्डरदेही, दिनांक – 16-08-2016

पृष्ठा. क्रमांक 309 (A) / ज.भा.प्र.स. / 2016


प्रतिलिपि :-

- (1) श्री प्रमोद कुमार जैन , अध्यक्ष ज.भा.प्रबंधन समिति शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.) को सूचनार्थ ।

o/c



J.B.S\_GUN\_VOUCHER\_17



(डॉ.डी.आर.मेशम)

प्रभारी प्राचार्य  
PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College  
Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)